

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-II/21

दिनांक :- 05.01.2023

आदेश संख्या 664/2022-23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2014-15) की सिफारिशों के आधार पर श्री नरेन्द्र कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 285/1992) जन्म तिथी 01.08.1970 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरुद्ध विचाराधीन एसीबी प्रकरण 367/2010 दर्ज होने एवं एसीबी कोटा के पत्रांक 326-28 दिनांक 23.04.2014 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रस्ताव निदेशालय में प्राप्त होने एवं कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नतीजे का लिफाफा बंद किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

तत्पश्चात् विचाराधीन प्रकरण में श्री जैन की संलिप्तता नहीं पाए जाने तथा आपराधिक आशय/आपराधिक दायित्व की पुष्टि नहीं होने पर श्री जैन के विरुद्ध लंबित अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करते हुए महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पत्रांक 2151-53 दिनांक 25.02.2022 द्वारा प्रस्ताव वापस मांगे जाने पर अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव मूल ही विभागीय पत्रांक 165 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा लौटा दिए जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद का पे मैट्रिक्स के लेवल-11 (ग्रेड पे 4200) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री नरेन्द्र कुमार जैन को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर चयन वर्ष 2014-15 के विरुद्ध पदोन्नति करते हुए इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथी तक पदोन्नति पद की पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री नरेन्द्र कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार के पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर क्रमोन्नत करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा-22213 में किया जाता है। श्री नरेन्द्र कुमार जैन को पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-II/21

दिनांक :- 05.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. उप निदेशक (एसीपी) को बेवसाईट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. डीपीसी शाखा/ए.पी.ए.आर शाखा/वरिष्ठता/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।
6. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय.....
7. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)